रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12092023-248662
SG-DL-E-12092023-248662

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2023/भाद्र 21, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 216
No. 277]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2023/BHADRA 21, 1945	[N. C. T. D. No. 216

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 सितम्बर, 2023

सं0फा0 7(1184)/श0वि0/विविध/प्रशा0/2022/4999.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ''**डिस्पैच राइडर**'' के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः**—(क) इन नियमों को ''डिस्पैच राइडर'' (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

   (ख) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यताः—ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्तिः**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इस नियम के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः**—इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में डिस्पैच राइडर के पद हेतु भर्ती नियम

क्र.सं.	विषय		प्रस्तावित भर्ती नियमों का प्रावधान
1.	**पदनाम**	:	**डिस्पैच राइडर**
2.	**पदों की संख्या**	:	01* (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह—'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—2 (रुपये 19900—63200/—)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	गैर चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18—25 वर्ष* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीपः**— आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। * यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु—सीमा 18—27 वर्ष के बीच होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्यः**— 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो। 2. मोटर साइकिल हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो। 3. मोटर साइकिल चालक में 2 वर्ष का अनुभव हो। 4. मोटर साइकिल तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए।) **टिप्पण 1**:— अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टिप्पण 2**:— यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों

			को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : नहीं योग्यता : हाँ
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	सीधी भर्ती के लिए 02 वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन किया जाना है।**	:	**पदोन्नति :–** वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर–1 (रुपये 18000–56900/–) में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित शहरी विकास विभाग में समूह ''ग'' कर्मचारियों में से। **टिप्पण:**–जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	समूह ''ग'' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति तथा स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा) : अध्यक्ष 2. विभागाध्यक्ष (शहरी विकास) : सदस्य 3. उप–सचिव (वित्त) : सदस्य **टिप्पण:**–यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण तथा पदोन्नति के विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विकास गोयल, उप–सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th September, 2023

F.No.7(1184)/UD/Misc./Admn./2022/4999.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number G.S.R.840, dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regarding the method of recruitment to the post of "Despatch Rider" in the Urban Development Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement—**(1) These rules may be called "Despatch Rider" (Group C Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the Pay Matrix:—**The number of said posts, its classification and level in the pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.:—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications:—**No person,—

i. Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

ii. Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax—**Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. **Saving—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DESPATCH RIDER IN URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF NCT OF DELHI

COL. No.	SUBJECT	PROVISION OF THE PROPOSED RECRUITMENT RULES
1.	Name of the post	Despatch Rider
2.	Number of Post	01* (2023) *subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial
4.	Level in the Pay Matrix	Level – 2 (Rs.19900-63200) of the Pay Matrix
5.	Whether Selection Post or non selection post	Non Selection
6.	Age limit for Direct Recruits	18-25 years* (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled by all India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.
7.	Educational & other qualification required for Direct Recruits	Essential : i. Matriculation or Industrial Training Institutes or equivalent pass from a recognized Institute or Board. ii. Possessing a valid driving license for Motor Cycle.

		iii. Two years experience in driving Motor Cycle. iv. Knowledge of Motor Cycle mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle) **Note1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
8.	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Age – No Qualification – Yes
9.	Period of Probation, if any	Two years for direct recruits.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By promotion failing which by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	**Promotion**: From Group 'C' employees in Urban Development Department with three years regular service in the Pay Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-). **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) : 1. Principal Secretary/Secretary (Power) : Chairperson 2. Head of the Department (UD) : Member 3. Dy. Secretary (Finance) : Member **Note:** Senior most member of the DPC for considering confirmation and promotion shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of Committee happens to be junior to another member of the Committee.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

VIKAS GOYAL, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.09.12 22:01:13 +05'30'